uxj ifj"kn dkxMk] ftyk dkxMk] fgekpy ins'k ds ys[kkvks dk vads{k.k ,o fujh{k.k ifronu

vof/k 04@2007 ls 03@2011

Hkkx&,d

ikjk 1 ¼d½ ikjfEHkd %&

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद कांगड़ा, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

vads{k.kk/khu vof/k ds nkSjku fuEuof.kZr iz/kku o dk;Zdkjh vf/kdkjh uxj ifj"kn dkxMk esa rSukr Fks %&

iz/kku %&

Øe la[;k	iz/kku dk uke	rSukrh dh vof/k
1	श्रीमति सुमन वर्मा	01.04.2007 से 17.06.07 तक
2	श्रीमति उर्मिला शर्मा	18.06.07 से 30.01.11 तक
3	श्रीमति सुमन वर्मा	31.01.11 से 31.03.11 तक

dk;Zdkjh vf/kdkjh %&

1	श्री देष राज चौधरी	01.04.07 से 19.03.09 तक
2	श्री संजय कुमार	02.03.09 से 24.05.10 तक
3	श्री आर0एस0 वर्मा (अतिरिक्त कार्यभार)	25.05.10 से 13.06.10 तक
4	श्री संजय कुमार	14.06.10 से 15.06.10 तक
5	श्री आर0एस0 वर्मा (अतिरिक्त कार्यभार)	16.06.10 से 17.08.10 तक
6	श्री देष राज चौधरी (अतिरिक्त कार्यभार)	18.08.10 से 31.03.11 तक

¼[k½ uxj ifj"kn dkaxMk] ftyk dkaxMk] fgekpy izns'k ds ys[kk vof/k 01-04-2007 ls 31-03-2011 rd vads{k.k esa ikbZ xbZ xEHkhj vfu;ferrkvksa dk laf{kIr lkjA

Øe la[;k	vfu;ferrkvksa dk laf{kIr lkj	iSjk la[;k	jkf'k yk[kksa esa
1	अवधि 03/07 से पूर्व में प्राप्त अनुदान की राषि व्यय हेतु शेष	5.1	16.08
2	अनुदान राषियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करना	5.2.1	198.26
3	उपयोग उपरान्त शेष राषियों को सम्बन्धित विभागों को वापिस न लौटाना	5.2.2	6.22
4	अनुदान राषियों का उपयोग न करने बारे	5.2.3	33.02
5	दिनांक 31.03.11 तक गृहकर, दुकानों के किराये एवं कुडा संयन्त्र शुल्क के रूप में राषियां वसूली जानी शेष	6.2	41.70
6	गृहकर की बकाया राषि पर 10% की दर से सरचार्ज न लगाने से हानि	6.4	3.17
7	निर्धारित दरों पर गृहकर की मांग न करने के कारण वित्तीय हानि	6.5	3.55
8	ट्रेड टैक्स की वसूली न करने के कारण हानि	6.7	1.18
9	तहबजारी व सैनिटेषन डोनेषन के रूप में राषि की कम प्राप्ति	6.8, 6.9	0.41
10	बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने बारे	7	38.01
11	विभिन्न कर्मचारियों को स्वीकृति दरों से अधिक दरों पर भुगतान करने से वित्तीय हानि	7.1, 7.2, 7.3	1.18
12	गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान बारे	7.4	0.82
13	स्थापना पर निर्धारित माप दण्डों से अधिक व्यय करने के कारण अनियमित व्यय	7.5	78.71
14	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना सफाई कार्य हेतु मज़दूरों को रखने से अनियमित भुगतान	8	0.39
15	पटवारी हल्का कांगड़ा को मानदेय के रूप में अनियमित भुगतान	8.1	0.12
16	विद्युत बोर्ड कांगड़ा को अधिक भुगतान	8.8	0.19
17	विभागीय मजदूरों को बिना कार्य के अनुचित भुगतान	9	19.64

18	संविदाकार के बिलों से जल प्रभार की कटौती न करने के कारण हानि	9.3	0.77
19	बिना तकनीकी स्वीकृति के राषि का निर्माण कार्यों को आबंटित करने बारे	9.5	16.39
20	तकनीकी स्वीकृति की राषि से अधिक के कार्य का आबंटन	9.6	8.79
21	गलत गणना के कारण विभिन्न ठेकेदारों को अधिक भुगतान	9.7	0.50
22	अतिरिक्त कार्य हेतु संषोधित प्राक्कलन तैयार न करना	9.8	4.82
23	कोटेषन के आधार पर फिक्स दर से अधिक दर पर भुगतान करना व शेष बची सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना	9.10.3 9.10.5	0.19
24	अंषदायी पैन्षन निधि में अंषदान न करने बारे	10.2	0.23
25	अंषदायी पैन्षन निधि से अनुचित भुगतान	10.4	0.15
26	गाड़ियों की औसत तेल खपत का निर्धारण न करवाने के कारण वित्तीय हानि	11	0.31
27	अग्रिम राषि का समायोजन शेष	13	0.26

¼x½ xr vd{k.k ifronu ¼&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''A'' पर दर्षाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्यवाही सुनिष्चित करे व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

Hkkx&nk

1 orieku vid{k.k %&

नगर परिषद कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 04/07 से 03/11 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण/जाँच परीक्षण श्री राजवीर सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 12.09.11 से दिनांक 13.02.12 के दौरान कांगड़ा में सम्पन्न किया गया। विस्तृत जाँच हेतु निम्न विवरणानुसार महीनों का चयन किया गया जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट किया गया है।

Øe la[;k	foÙkh; o"kZ	p;fur ekg ¼vk;½	p;fur ekg ¼O;;½
1	2007—2008	04/2007	03/2008
2	2008—2009	12/2008	01/2009
3	2009—2010	03/2010	07/2009
4	2010—2011	03/2011	08/2010

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपन कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना जो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल अंकेक्षण के लिए चयनित महीनों तक ही सीमित है।

2 vid{k.k 'kqYd %&

नगर परिषद के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹54,000.00 आंका गया, जिसे राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः आर0वी0एस0 (ऑडिट) 2012/10, दिनांक 06.02.12 द्वारा अनुरोध किया गया। उक्त राषि को बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के नाम अविलम्ब भेजा जाना सुनिष्चित किया जाए।

3 foÙkh; fLFkfr %&

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाये गए अभिलेख अनुसार, अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद के लेखाओं (अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय, अनुदान राषियों, पैंषन एवं उपदान तथा जी0पी0एफ0) का रख–रखाव सम्मिलित रूप में एक ही रोकड़ वही में किया गया था,

जिसकी वित्तीय स्थिति एवं बैंक समाधान विवरणिका का अलग–अलग ब्यौरा निम्न प्रकार से दिया गया है :–

(i) Grants :- Para No. 5 में वर्णित ।

(ii) Own sources :- Para No. 6 में वर्णित ।

(iii) Pension/Gratuity/GPF/CPF :- Para No. 10 में वर्णित ।

इसके अतिरिक्त वित्तीय स्थिति (Own Sources, and Grants) के आरम्भिक शेषों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/96 से 03/07 की अनुदान राषियों की वित्तीय स्थिति (परिषिष्ट ''घ'') के अनुसार, अनुदान राषियां का दिनांक 31.03.07 को अन्तषेष ₹1,10,71,639.00 दर्षाया गया था, जबकि अनुदान राषियों की आय व्यय विवरणी अनुसार दिनांक 31.03.07 को केवल ₹16,07,880.00 की अनुदान राषि ही शेष थी, अर्थात अनुदान राषियों की वित्तीय स्थिति एवं आय व्यय विवरणी में कुल ₹94,63,759.00 का अन्तर पाया गया। इस सम्बन्ध में कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः आर0वी0एस0(ऑडिट) 2011/103, दिनांक 09.12.11 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया। जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्याः न0प0का0/2011/1800, दिनांक 23.12'111 (परिषिष्ट "B") द्वारा यह सूचित किया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/96 से 03/07 में ₹94,63,759.00 की राषि जो कि अपने स्त्रोतों से सम्बन्धित थी, को गलती से, अपने स्त्रोतों के अन्तषेष से कम करके, अनुदान राषियों के अन्तषेष में जमा करके दर्षाया गया था, जिसकी पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है। अतः अनुदान राषियों एवं अपने स्त्रोतों का अन्तषेष दिनांक 31.03.07 को निम्न प्रकार से होना था :–

Closing Balance of Grants on 31-03-07 = 1,10,71,639 – 94,63,759 = 16,07,880.00

Closing Balance of Own Sources 7,46,193 + 94,63,759 = 1,02,09,952.00 on 31-03-07

3-1 jkdM+ cgh dk j[k&j[kko mfpr <+x ls ugha djus ckjs %&

रोकड़ बही के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई :–

(1) रोकड़ बही की प्रत्येक प्रविष्टि को सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेष नगर पालिका लेखा संहिता के नियम 19 के अनुसार रोकड़ बही की प्रत्येक प्रविष्टि की जाँच कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जानी अपेक्षित थी।

(2) रोकड़ बही में (जी–8) रसीदों की प्रविष्टि क्रमवार न करके आगे पीछे की गई थी जिससे चयनित महीनों में प्राप्त आय की रोकड़ बही में प्रविष्टि की जाँच करने में असुविधा का सामान

करना पड़ा। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि रोकड़ बही में (जी–8) रसीदों की प्रविष्टि क्रम वार की जानी सुनिष्चित की जाए ताकि प्रत्येक जी–8 रसीद की प्रविष्टि रोकड़ बही में सुनिष्चित की जा सके।

(3) नगर परिषद द्वारा अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय, अनुदान राषियों, पैंषन एवं उपदान तथा जी0पी0एफ0 का रख–रखाव, सम्मिलित रूप में एक ही रोकड़ बही में किया गया था, जिससे नगर परिषद की सही वित्तीय स्थिति का चित्रण नहीं हो सका। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त शीर्ष को (Heads) के लिए अलग–अलग रोकड़ बहियों का प्रयोग किया जाए ताकि वित्तीय स्थिति का सही प्रारूपण किया जा सके।

3-2 <u>cid [kkrk d j[k&j[kko d ckj e</u> %&

रोकड़ बही एवं बैंक खातों के मिलान में यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.03.11 तक विभिन्न बैंकों में कुल 18 खाते खुलवा रखे थे, जिनमें इस तथ्य का स्पष्टताः अभाव था कि विभिन्न शीर्षकों (Own Sources, Grants, Pension/Gratuity, GPF and CPF) की प्राप्त आय कौन से खाते मं जमा की गई थी तथा विभिन्न शीर्षकों का व्यय कौन से खाते से किया गया था, जिससे उपरोक्त विभिन्न शीर्षकों की अलग–अलग वित्तीय स्थिति का सही लेखन नहीं हो पाता। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान खातों को बन्द/इक्टट्ठा करके उक्त शीर्षकों हेतु अलग–अलग कुल पांच खाते खुलवाए जाएं तथा रोकड़ बही से उक्त शीर्षकों की राषि की सही गणना उपरान्त सम्बन्धित खातों में डाली जाए तथा भविष्य में सम्बन्धित शीर्षक की आय–व्यय का लेन देन सम्बन्धित खाते से ही किया जाना सुनिष्चित किया जाए ताकि अलग–अलग शीर्षकों की वित्तीय स्थिति का सही चित्रण किया जा सके।

4 <u>fuos'k</u> %&

उपलब्ध करवाये गए अभिलेख अनुसार दिनांक 31.03.11 को निवेष की स्थिति निम्न प्रकार से रही :–

Ø0 l0	,Q0Mh0vkj0 cid dk uke	fnukd	fuosf'kr jkf'k	nj	vof/k	ifjiDork fnukd
1	<u>1481571</u> K.C.C.	10.05.10	2,07,637.00	6.50%	एक वर्ष	10.05.11
2	<u>1480797</u> K.C.C.	17.11.10	1,64,118.00	7.25%	एक वर्ष	17.11.11

3	1484119 K.C.C.	19.10.10	35,474.00	7.25%	एक वर्ष	19.10.11
4	1484855 K.C.C.	24.07.10	22,077.00	6.50%	एक वर्ष	24.07.11
5	1484856 K.C.C.	24.07.10	22,077.00	6.50%	एक वर्ष	24.07.11
6	1486849 K.C.C.	24.07.10	22,48,421.00	6.50%	एक वर्ष	24.07.11
7	555409 S.B.P	01.03.09	3,01,482.00	8.75%	3 वर्ष	01.03.12
		;ksx	₹30]01]286-00			

4-1 lkof/k tek jkf'k;ksa ij cSadksa }kjk jkf'k ₹0-05 yk[k dk de C;kt fn, tkus ckjs esa%&

जाँच उपरान्त यह पाया गया कि कुछ एक बैंकों द्वारा सवधि जमा राषियों पर कम ब्याज दिया गया था जिसका विवरण इस प्रकार से है :–

,Q0Mh0 vkj0 cSad	fuosf'kr jkf'k	fnukad	nj	ikIr djus dh frfFk	C;kt tks ikIr fd;k x;k	C;kt dks ikIr fd;k tkuk Fkk	vUrj
55409 S.B.P.	2,76,708.00	28.02.08	8.75%	28.02.09	24,774.00	25,018.00	244.00
955408 HGB	71,556.00	12.07.03	5.50%	29.05.09	22,473.00	27,099.00	4,626.00
						;ksx	₹4]870-00

अतः राषि ₹4,870.00 की वसूली सम्बन्धित बैंकों से चक्रवृद्धि ब्याज सहित अविलम्ब की जानी सुनिष्चित की जाए।

4-2 fuos'k jftLVj u yxkus ckjs esa%&

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा परिषिष्ट ''C'' के अनुसार दिनांक 31.03.11 तक राषि ₹30,01,286.00 का निवेष सावधि जमा के रूप में विभिन्न बैंकों में किया गया था, परन्तु इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया था। नगर

पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 235 के अनुसार निवेष रजिस्टर आरम्भ करवा दिया गया है जिसका रख–रखाव भविष्य में नियमानुसार किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

5 vuqnku %&

उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं पत्र संख्याः न0प0का0/2011–1800, दिनांक 23.12.11 (परिषिष्ट ''B'') में वर्णित अन्तषेष (31.03.07) के अनुसार नगर परिषद की अनुदान राषियों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :–

Financial Position of Grants w.e.f. 2007-2008 to 2010-2011

Year	Opening Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2007-08	16,07,880	80,09,366	96,17,246	79,30,997	16,86,249
2008-09	16,86,249	1,39,40,166	1,56,26,415	1,12,57,878	43,68,537
2009-10	43,68,537	1,04,05,054	1,47,73,591	1,00,75,184	46,97,407
2010-11	46,97,407	1,20,14,011	1,67,11,418	80,94,127	86,17,291

Note :- Opening Balance taken as per Letter No. MCK/2011-1800, dated 23-12-11

Detail of Bank

Account No.	Name of Bank	Amount
20033029603	K.C.C. Bank	415237.00
20033093501	K.C.C. Bank	846060.00
20033093410	K.C.C. Bank	77314.00
28033061400	K.C.C. Bank	2829884.00
20033090827	K.C.C. Bank	1340135.00
7682	U.B.I	36851.00
250000100360078	P.N.B	3055835.00
	Treasury	15975.00
	Total	**₹8617291.00**

5-1 vof/k 03@07 ls iwoZ eas izkIr vuqnku dh jkf'k ₹16-08 yk[k 0;; gsrq 'ks"k %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/96 से 03/07 के परिषिष्ट ''घ'' अनुसार दिनांक 31. 03.07 को ₹16,07,880.00 की अनुदान राषियां व्यय हेतु शेष थी इस राषि का पूर्ण विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''D'' पर दिया है। परिषिष्ट के अवलोकन पर पाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान उक्त लम्बित पड़ी राषियों में से कुछ भी व्यय नहीं किया गया है। यह शेष राषि

वर्ष 1985—86 से वर्ष 2006—07 से सम्बन्धित थी जिससे स्पष्ट है कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 1985—86 से वर्ष 2006—07 तक विभिन्न विभागों से प्राप्त सरकारी अनुदानों को उपयोग करने उपरान्त शेष बची राशि को सम्बन्धित विभागों को नहीं लौटाया गया। अतः शेष बची राशि को अविलम्ब उन विभागों को लौटाया जाना सुनिष्चित किया जाए जिन विभागों से उक्त अनुदान राशि प्राप्त की गई थी। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5-2 orleku vad{k.k vof/k d nkjku ikIr vunku jkf'k;k ckj %&

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद को विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुदान राषियों की आय—व्यय की सूची इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''E'' पर दी गई है। परिषिष्ट के अवलोकन/जाँच उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई :—

5-2-1 vunku jkf'k;k ₹198-26 yk[k d mi;kfxrk iek.k i= tkjh u djuk %&

उपरोक्त परिषिष्ट अनुसार नगर परिषद द्वारा अवधि 04/07 से 03/11 तक उपयोग की गई अनुदान राषियों में से ₹1,98,26,425.00 की अनुदान राषियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों को जारी नहीं किए गए थे राषि का विवरण निम्न प्रकार से था :—

o"k	vunku jkf'k dh Øe l[;k	jkf'k
2007—2008	क्रम संख्याः 1, 6, 8, 9	30,16,880.00
2008—2009	क्रम संख्याः 3	31,81,158.00
2009—2010	क्रम संख्याः 3, 7, 10, 12, 18	65,81,943.00
2010—2011	क्रम संख्याः 1 से 7, 9, 12, 15	70,46,444.00
	;kx	₹1]98]26]425-00

अतः उपरोक्त राषियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों को शीघ्र प्रेषित किए जाऐं।

5.2.2 'k"k jkf'k ₹6-22 yk[k dk lEcfU/kr foHkkxk dk okfil u ykVkuk ckj %&

परिशिष्टि अनुसार नगर परिषद द्वारा कुछ अनुदान राषियों का उपयोग तो कर लिया गया परन्तु उपयोग उपरान्त शेष राषि को सम्बन्धित विभागों को वापिस नहीं लौटाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :—

o"kZ	vuqnku jkf'k dh Øe la[;k	'ks"k jkf'k
2007–2008	क्रम संख्याः 1, 9	78,369.00
2009–2010	क्रम संख्याः 12, 14	1,03,870.00
2010–2011	क्रम संख्याः 1, 3, 4, 5, 6	4,40,134.00
	;ksx	₹6]22]373-00

अतः शेष बची राषि ₹6,22,373.00 को सम्बन्धित विभागों को स्वीकृति पत्रों की शर्तों अनुसार, वापिस लौटाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

5.2.3 vuqnku jkf'k;ksa ₹33-02 yk[k dk mi;ksx u djuk ckjs ¼&

परिशिष्ट अनुसार नगर परिषद द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुदान राषियों में से कुछ एक अनुदान राषियां का बिलकुल भी उपयोग नहीं किया गया था जिनका विवरण निम्नलिखित है

o"kZ	vuqnku jkf'k dh Øe la[;k	jkf'k
2009–2010	क्रम संख्याः 2, 6	2,25,000.00
2010–2011	क्रम संख्याः 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19	30,77,233.00
	;ksx	₹33]02]233-00

अतः उपरोक्त उपयोग न की गई अनुदान राषि ₹33,02,233.00 को उपयोग करने से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाए ताकि अनुदान राषि के दुरूपयोग की सम्भावना से बचा जा सके।

इसने अतिरिक्त वर्ष 2008–2009 में ₹26,82,288.00 (क्रम संख्या 2) एवं वर्ष 2010–11 में ₹4,02,517.00 (क्रम संख्या 18) के कार्य प्रगति पर थे। अतः उक्त कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने उपरान्त भुगतान की गई राषि अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किए जाने सुनिष्चित किए जाऐं।

6 vk; ¼&

उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं पत्र संख्याः न0प0का0/2011/1800, दिनांक 23.12.11 (परिषिष्ट ''B'') में 31.03.07 को वर्णित अन्तषेष के अनुसार नगर परिषद की अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।

Financial Position of Own Sources income w.e.f. 2007-2008 to 2010-2011

Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing

	Balance				Balance
2007-08	1,02,09,952	40,86,424	1,42,96,376	59,86,333	83,10,043
2008-09	83,10,043	84,68,856	1,67,78,899	79,53,900	88,24,999
2009-10	88,24,999	67,96,103	1,56,21,102	68,75,568	87,45,534
2010-11	87,45,534	60,34,666	1,47,80,200	1,07,37,601	40,42,599

Note :- Opening Balance taken as per Letter No. MCK/2011-1800, dated 23-12-11

Detail of Bank

Account No.	Name of Bank	Amount
20033081802	K.C.C. Bank	8596.00
20033091093	K.C.C. Bank	561615.00
20033080812	K.C.C. Bank	63053
3240101000601	Canara Bank	392000
	FDR	3001286
	Total	**₹40,26,550.00**

Reconciliation Cash Book to Pass Book

Closing Balance as per cash book		4042599.00
Less	Cash in Hand	5524.00
Less: Cheque received but not deposited in Bank		10500.00
Less Short deposited in bank on 31-03-11		25.00
Balance as per Pass Book on 31-03-11		40,26,550.00

6-1 viu s L=krks ls izkIr vk; ckjs %&

नगर परिषद द्वारा अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय का ब्यौरा उपलब्ध अभिलेखानुसार निम्न प्रकार से था :–

o"kZ	vk; tks izkIr dh xbZ	xr o"kZ dh vk;	fVIi.kh
2007–2008	40,86,424.00	82,79,977.00	(–) 51%
2008–2009	84,68,856.00	40,86,124.00	(+) 107%
2009–2010	67,96,103.00	84,68,856.00	(–) 20%
2010–2011	60,34,666.00	67,96,103.00	(–) 11%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन पर यह पाया गया कि गत वर्ष की तुलना में अगले वर्ष में अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय में वर्ष 2008–2009 को छोड़कर, अन्य वर्षों में, कमी दर्ज की गई, जिससे यह स्पष्ट है कि नगर परिषद प्रषासन अपने आय के स्त्रोतों को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। अतः नगर परिषद प्रषासन को यह परामर्ष दिया जाता है कि वह अपने आय के स्त्रोतों को बढ़ाने का प्रयत्न करें ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों।

6-2 fnukad 31-03-11 rd ₹41-70 yk[k dh olwyh 'ks"k %&

दिनांक 31.03.11 को ₹41,70,317.00 की राषि गृहकर, दुकानों के किराये एवं कुड़ा संयत्र शुल्क के रूप में वसूली जानी शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

Øe la[;k	'kh"kZ	31-03-11 dks cdk;k jkf'k	fVIi.kh
1	गृहकर	31,70,593.00	परिषिष्ट ''F'' में वर्णित
2	दुकानों एवं भवनों का किराया	7,39,600.00	परिषिष्ट ''F'' में वर्णित
3	कुडा सन्यंत्र प्रबन्धन शुल्क	2,60,124.00	परिषिष्ट ''F'' में वर्णित
	;ksx	₹41]70]317-00	

निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्याः ULB-H(A)-1/87-9237-9284, दिनांक 20.06.01 के अनुसार गृहकर एवं अन्य करों की 100% वसूली करने के निर्देष दिए गए तथा विफलता पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाना था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी द्वारा उक्त पत्र के दिषा–निर्देषों एवं हिमाचल प्रदेष नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है अन्यथा दिनांक 31.03.11 को इतनी अधिक राषि वसूली योग्य शेष न रहती। अतः यह परामर्ष दिया जाता है कि बकाया राषियों की अविलम्ब वसूली हेतु समुचित पग उठाये जाऐं ताकि नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित न हों।

6-3 x`gdj dh ubZ fu/kkZj.k lwph rS;kj u djuk %&

गृहकर से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2006–2007 के उपरान्त गृहकर की Assessment नहीं की गई थी अर्थात नगर परिषद द्वारा, गृहकर दाताओं से वर्ष 2006–2007 की Annual Rental Value पर ही गृहकर अधिरोपित करके वूसला जा रहा है। अतः वर्ष 2006–2007 से 2010–2011 तक गृहकर की नई निर्धारण सूची तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 77 के

अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिष्चित की जाए तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6-4 xgdj dh cdk;k jkf'k ij 10% dh nj ls ljpktZ u yxkus ls ₹3-17 yk[k dh gkfu %&

निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्याः UD-H(B)(15)-4/99, दिनांक 26.06.03 के अनुसार चालु वर्ष के गृहकर का बिल जारी करने के उपरान्त 10 दिनों के भीतर गृहकर जमा करवाने पर कर की राषि का 20% की छूट दी जानी अपेक्षित थी, परन्तु यदि 10 दिनों के भीतर कर की राषि जमा नहीं करवाई जाती तो बकाया राषि पर 10% की दर से सरचार्ज निर्धारित किया जाना अपेक्षित था। अभिलेख की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि नगर परिषद प्रषासन द्वारा यद्यपि निर्धारित समय पर कर चुकाने पर 20% की छूट दी थी परन्तु निर्धारित समय पर कर न चुकाने पर बकाया रषि पर 10% की दर से सरचार्ज नहीं लगाया था, जिस कारण नगर परिषद निधि को दिनांक 31.03.11 को गृहकर की बकाया राषि पर 10% की दर से कम से कम ₹3,17,059.00 की वित्तीय हानि उठानी पड़ी। अतः सरचार्ज न लगाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा समय पर गृहकर न चुकाने वाले गृहकर दाताओं की बकाया राषि पर नियमानुसार सरचार्ज निर्धारित किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

6-5 fu/kkZfjr njksa ij xgdj dh ekax u djus ds dkj.k jkf'k ₹3-55 yk[k dh foÙkh; gkfu ckjs %&

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः UD-H(C)(10)-7/98-II, दिनांक 17.11.03 के अनुसार वर्ष 2007–2008 से गृहकर की मांग 12.5% की दर से की जानी अपेक्षित थी। परन्तु अभिलेख की जाँच उपरान्त पाया गया कि वर्ष 2007–2008 एवं 2008–2009 में गृहकर की मांग उपरोक्त दर के अनुसार नहीं की गई जिस कारण नगर परिषद को राषि ₹3,55,466.00 की वित्तीय हानि हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

o"kZ	ftl nj ij ekax dh xbZ	ekax dh xbZ jkf'k	ftl nj ij ekax dh tkuh Fkh	ftruh ekax dh tkuh Fkh	vUrj dh jkf'k
2007–2008	10.50%	10,70,954.00	12.50%	12,74,945.00	2,03,991.00
2008–2009	11.50%	17,41,967.00	12.50%	18,93,442.00	1,51,475.00
				;kx	₹3]55]460-00

अतः उक्त पत्र के अनुसार गृहकर की मांग न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए भविष्य में उक्त पत्रानुसार ही गृहकर की मांग व वसूली की जाए।

6-6 ndkunkjk@lykV /kkjdk@dej ,o Hkou /kkjdk rFkk [kk[kk /kkjdk d lkFk vuqcU/k u dju ckj %&

नगर परिषद द्वारा किराये पर दी गई विभिन्न दुकानों, प्लाटों, कमरों एवं भवनों तथा खोखों के किराया अनुबन्ध की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा आबंटित दुकानों, प्लाटों, कमरों एवं भवनों के आबंटियों से किराया अनुबन्ध नहीं किए गए जिनका पूर्ण विवरण परिषिष्ट ''G'' पर दिया गया है। उपरोक्त आबंटित कुछ दुकानों/प्लाटों/कमरे एवं भवन तथा खोखा धारकों के साथ पहले तो अनुबन्ध किए थे लेकिन बाद में इनका नवीकरण नहीं किया गया। कुछ आबंटितयों के साथ तो कभी भी अनुबन्ध नही किए गए। अतः नगर परिषद प्रषासन को यह परामर्ष दिया जाता है कि वह परिषिष्ट में वर्णित विभिन्न किरायेदारों के साथ यथाषीघ्र किराया अनुबन्ध करना सुनिष्चित करे ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही से बचा जा सके।

6-7 VM VDl dh olyh u dju d dkj.k jkf'k ₹1-18 yk[k dh gkfu ckj %&

नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 68(1)(i) की अनुपालना में परिषद के प्रस्ताव संख्याः 337, दिनांक 11.01.08 द्वारा दिनांक 01.04.08 से परिषद क्षेत्र में व्यापार कर रहे विभिन्न परचून विक्रेताओं पर ₹50.00 प्रतिवर्ष थोक विक्रेताओं पर ₹100.00 प्रतिवर्ष की दर से ट्रेड टैक्स अधिरोपित किया गया था। उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार यद्यपि नगर परिषद क्षेत्र में 01.04.08 से 31.03.11 तक 773 परचून विक्रेता 8 थोक विक्रेता व्यापार कर रहे थे, परन्तु तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी द्वारा नगर परिषद के उक्त प्रस्ताव की अवहेलना करते हुए व्यापारियों से ट्रेड टैक्स की वसूली नहीं की जिस कारण नगर परिषद को 01.04.08 से 31.03.11 तक कुल राषि ₹1,18,350.00 की वित्तीय हानि उठानी पड़ी।

773 x 50 x 3 year = 115950

8 x 100 x 3 year = 2400

118350

अतः उपरोक्त वित्तीय हानि के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए ट्रेड टैक्स की वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए।

6-8 rgctkjh dh jkf'k ₹0-19 yk[k dh de iklr %&

तहबजारी से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि दिनांक 01.04.07 से 31.03.11 तक ₹11,50,725.00 की राषि प्राप्त की जानी अपेक्षित थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

vof/k	nj izfr fVdV	fVdV u0 ,o cqd u0	dqy fVdV	jkf'k
01.04.07 से 19.09.08	10.00	29 से 200 से 01 से 17 776 970	38789	387890
20.09.08 से 26.11.08	20.00 (प्रस्ताव सं0 449 दिनांक 20.09.08)	18 से 200 से 01 से 68 970 989	3851	77020
27.11.08 से 31.03.11	15.00 (प्रस्ताव सं0 483 दिनांक 27.11.08)	69 से 200 से 01 से 200 989 1000 तथा 01 से 200 से 01 से 189 01 217	45721	685815
			;ksx	₹11]50]725-00

परन्तु रोकड़ बही/तहबाजारी रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि तहबाजारी के रूप में दिनांक 01.04.07 से 31.03.11 तक कुल ₹11,31,630.00 की राषि प्राप्त की गई, जिसका पूर्ण विवरण परिषिष्ट ''H'' पर दिया गया है। इस तरह तहबाजारी के रूप में कुल ₹19,095.00 की राषि (11,50,725 – 11,31,630 = 19095.00) कम प्राप्त की गई। अतः इस प्रकरण की विभागीय तौर पर छानबीन की जाए तथा कम प्राप्त की गई राषि को चूककर्त्ताओं से प्राप्त करके नगर परिषद निधि में जमा किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

6-9 lSfuVs'ku Mksus'ku ¼**Sanitation Donation**½ dh :i esa jkf'k ₹0-22 yk[k dh de izkfIr ½&

सैनिटेषन डोनेषन से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि दिनांक 14.07.08 से 31.03.11 तक सेनिटेषन डोनेषन के रूप में कुल ₹5,88,065.00 की राषि प्राप्त की जानी आपेक्षित थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

vof/k	nj izfr fVdV	fVdV u0 ,o cqd u0	dqy fVdV	jkf'k
14.07.08 से 19.09.08	10.00	1 से 200 से 1 से 107 01 20	3907	39,070.00

20.09.08 से 26.11.08	20.00 प्रस्ताव संख्याः 449, दिनांक 20.09.08	108 से 200 / 20 से 1 से 145 / 38	3638	72,700.00
27.11.08 से 31.03.11	15.00 प्रस्ताव संख्याः 482, दिनांक 27.11.08	146 से 200 / 38 से 1 से 94 / 196 एवं स्कूटर पार्किंग की बुक नम्बर 1 से 200 / 41	31749	4,76,235.00
			;kx	₹5]88]065-00

परन्तु रोकड़ बही/Sanitation Donation Register की जाँच में पाया गया कि दिनांक 14.07.08 से 31.03.11 तक सेनिटेषन डोनेषन के रूप में कुल ₹5,66,040.00 की राषि प्राप्त की गई जिसका पूर्ण विवरण परिषिष्ट ''H'' पर दिया गया है। इस प्रकार सेनिटेषन डोनेषन के रूप में कुल ₹22,025.00 की राषि (5,88,0654 – 5,66,040 = 22,025.00) कम प्राप्त की गई। अतः इस प्रकरण की विभागीय तौर पर छानबीन की जाए तथा कम प्राप्त की गई राषि को चूककर्त्ताओं से प्राप्त करके परिषद निधि में जमा किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

7 LFkkiuk %&

नगर परिषद में नियुक्त कर्मचारियों व दैनिक वेतन भोगियों का विवरण परिषिष्ट ''I'' पर दिया गया है तथा स्थापना पर वेतन तथा भत्तों के रूप में व्यय हुई राषियों तथा इसके विरूद्ध बजट प्रावधान का विवरण परिषिष्ट ''J'' पर दिया गया है। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :–

ctV iko/kku ls jkf'k ₹38-01 yk[k dk vf/kd O;; djus ckjs %&

उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वर्ष 2007–08, 2008–09 व 2010–11 में स्थापना व्यय, बजट प्रावधान से अधिक पाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

o"kZ	'kh"kZ	ctV esa iko/kku	O;; dh xbZ jkf'k	vUrj
2007–08	General	16,79,283.00	17,73,939.00	94,656.00
2008–09	General	19,97,334.00	22,67,252.00	2,69,918.00
	Public Health	2,40,020.00	2,43,541.00	3,521.00
	Conservancy	26,78,033.00	28,82,192.00	2,04,159.00
	M. Works	17,58,918.00	20,31,748.00	2,72,830.00

2010–11	Public Health	3,96,343.00	8,76,195.00	4,79,852.00
	Conservancy	40,01,115.00	61,44,007.00	21,42,892.00
	M.Warks	30,67,748.00	34,01,034.´00	3,33,286.00
			;kx	₹38]01]114-00

अतः बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अधिक व्यय की राषि को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत करवाकर नियमित किया जाए। भविष्य में बजट प्रावधानों के अनुसार ही व्यय किया जाए।

7-1 Jh euh"k dekj cynku dk Lohdr nfud njk l vf/kd njk d Hkxrku dju ij jkf'k ₹0-12 yk[k dh olyh %&

नगर परिषद द्वारा श्री मुनीष कुमार को दिनांक 01.04.98 से बतौर बेलदार के पद पर daily wager के रूप में नियुक्त किया गया जिसे परिषद ने अपने प्रस्ताव सं0 1115, दिनांक 27.10.05 द्वारा दिनांक 01.01.06 से लिपिक के पद पर (Daily Wager) के रूप में पदोन्नत कर दिया गया। तदोपरान्त निदेषक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः UD-H(B)(1)28/99-4439, दिनांक 05.09.07 द्वारा श्री मुनीष कुमार को बेलदार के पद पर ही नियमित किया गया। उक्त कर्मचारी ने दिनांक 10.09.07 (पू0) को बेलदार के पद पर कार्यग्रहण भी कर लिया। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 01.01.06 से दिनांक 09.09.07 तक उक्त बेलदार को बतौर लिपिक के पद पर दी गई दिहाड़ी अनियमित थी। इस प्रकार दिनांक 01.01.08 से दिनांक 09.09.07 तक अधिक दी गई दिहाड़ी ₹11,919.00 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी आपेक्षित है। उक्त कर्मचारी को अधिक किए गए भुगतान का वर्णन परिषिष्ट ''K'' पर दिया गया है।

7-2 Jh inhi dekj] cynkj dk Lohdr nfud njk l vf/kd njk d Hkxrku dju ij jkf'k ₹0-41 yk[k dh olyh ckj %&

श्री प्रदीप कुमार को नगर परिषद द्वारा दिनांक 18.01.2000 को बतौर बेलदार के पद पर, दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किया गया था जिसे परिषद ने अपने प्रस्ताव संख्याः 1115, दिनांक 27.10.05 द्वारा दिनांक 01.01.2006 से लिपिक के पद पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में पदोन्नत कर दिया। तदोपरान्त निदेषक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः UD-H(B)(1)-28/99, दिनांक 15.07.10 द्वारा श्री प्रदीप कुमार को बेलदार के पद पर ही नियमित किया गया तथा उक्त कर्मचारी ने दिनांक 16.07.2010 (पूर्व) को बेलदार के पद पर कार्यग्रहण भी कर लिया। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 01.01.06 से दिनांक 15.07.10 तक उक्त बेलदार को जो लिपिक की दिहाड़ी दी गई

वह अनियमित थी। इस प्रकार अधिक दी गई दिहाड़ी की राषि ₹40,956.00 की वसूली नियमित होने पर श्री प्रदीप कुमार से आपेक्षित है। उक्त कर्मचारी को अधिक किए गए भुगतान का वर्णन परिषिष्ट ''L'' पर दिया गया है।

7-3 Jh frydjkt ¼cynkj½ dk pkyd d in ij inkUur dju d dkj.k ₹0-65 yk[k dh foÙkh; gkfu ckj %&

श्री तिलक राज को नगर परिषद द्वारा दिनांक 01.08.2002 को बेलदार के स्वीकृत पद के विरूद्ध दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे परिषद ने बाद में अपने प्रस्ताव संख्याः 1115, दिनांक 27.10.05 द्वारा दिनांक 01.01.2006 से चालक के पद पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में पदोन्नत कर दिया। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार नगर परिषद में चालक का कोई भी पद स्वीकृत नहीं है तथा न ही तिलक राज की पदोन्नति के सम्बन्ध में निदेषक, शहरी विकास विभाग षिमला से स्वीकृति प्राप्त की गई थी। चालक के गैर–स्वीकृत पद के विरूद्ध पदोन्नति करने के कारण दिनांक 01.01.06 से 31.03.11 तक श्री तिलक राज (बेलदार) को राषि ₹65,206.00 की अधिक दिहाडी दी गई जिसका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''M'' पर दिया गया है। अतः गैर स्वीकृत पद के विरूद्ध की गई पदोन्नति को सक्षम अधिकारी से पद का सृजन करवा कर नियमित किया जाए अन्यथा ₹65,206.00 की अधिक दिहाड़ी की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाए।

7-4 xyr osru fu/kkj.k d dkj.k jkf'k ₹0-82 yk[k d vf/kd Hkxrku ckj %&

सेवा पंजिकाओं की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि गलत वेतन निर्धारण के कारण कुछ एक कर्मचारियों को वेतन के रूप में राषि ₹82,414.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

Øe l[;k	depkjh dk uke	vof/k	vf/kd fn;k x;k osru	fVIi.kh
1	श्री मति राज कुमारी (सफाई कर्मचारी)	01.10.09 से 31.07.11	10,751.00	दिनांक 26.08.09 के बाद कर्मचारियों को ACPS का लाभ दिया गया जबकि नये वेतन मान 2009 के अनुसार ACPS का लाभ दिनांक 26.08.09 से पहले तक ही देय था।

2	श्रीमति सरोज बाला (चौकीदार)	01.06.11 से 31.08.11	453.00	
3	श्री जुगल किषोर (सफाई कर्मचारी)	01.10.09 से 31.08.11	11,280.00	
4	श्री विजय कुमार (सफाई कर्मचारी)	01.10.09 से 31.08.11	11,443.00	
5	श्री मति सुदेष रानी (सफाई कर्मचारी)	01.10.09 से 31.08.11	11,443.00	
6	श्री सुरेन्द्र कुमार (क0स0)	01.11.11 से 31.03.11	2,565.00	Deposited vide G-8 No. 46/205, dated 21-01-12 (₹2,565.00)
7	श्रीमति ऊषा देवी (सफाई कर्मचारी)	01.10.09 से 31.08.11	11,280.00	
8	श्रीमति सुजाता शर्मा	01.10.09 से 31.08.11	11,443.00	
9	श्रीमति वीना देवी (सफाई कर्मचारी)	01.09.09 से 31.08.11	11,726.00	
10	श्री प्रदीप कुमार (बेलदार)	01.07.11 से 31.08.11	30.00	वार्षिक वेतन वृद्धि की गलत गणना
		;kx	82]414-00 ¼&½ 2]565 ¾ ₹79]849-00	

अतः अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली अविलम्ब करके नगर परिषद निधि में जमा की जानी सुनिष्चित की जाए।

7-5 LFkkiuk ij fu/kkZfjr eki n.Mksa ls vf/kd O;; djus dk dkj.k jkf'k ₹78-71 yk[k dk vfu;fer O;; ¼&

हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्याः ULB-H(A)(7)-1/87-9237-9284, दिनांक 20.06.2001 के अनुसार नगर परिषद का स्थापना व्यय, कुल व्यय के 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए था। जाँच में पाया गया कि नगर परिषद प्रषासन द्वारा उपरोक्त पत्र के दिषा निर्देषों की अनुपालना नहीं की गई, जिस कारण अवधि 01.04.07 से 31.03.11 तक स्थापना पर राषि ₹78,71,454.00 का व्यय अनियमित रूप से किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

o"kZ	uxj ifj"kn dk dqy O;;	dk LFkkiuk ij	vf/kd O;;

	dqy 0;;	1@3 Hkkx	fd;k x;k 0;;	
2007—2008	1,54,05,930.00	51,35,310.00	55,02,978.00	3,67,668.00
2008—2009	2,12,96,135.00	70,98,712.00	74,24,733.00	3,26,021.00
2009—2010	1,85,20,042.00	61,73,347.00	79,75,027.00	18,01,685.00
2010—2011	2,06,45,196.00	68,81,732.00	1,22,57,817.00	53,76,085.00
			;ksx	₹78]71]454-00

अतः उपरोक्त पत्र की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनियमित रूप से व्यय की गई राषि ₹78,71,454.00 को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियमित किया जाए।

7-6 fcuk inks dh Lohd`fr ds nSfud osru Hkksfx;ksa dks fu;fDr djuk %&

उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार (परिषिष्ट ''N'') नगर परिषद में कुछ एक दैनिक भोगी कर्मचारी जिन पदों के विरूद्ध कार्य कर रहे हैं वह पद नगर परिषद में स्वीकृत नहीं है। अतः पदों की स्वीकृति के बिना, दैनिक वेतन भोगियां की नियुक्ति का औचित्य स्पष्ट किया जाए, अन्यथा इनकी नियुक्ति को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए। पदों की स्वीकृति के बिना कार्य कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

Øe la[;k	deZpkjh dk uke	inuke	fu;fDr dh fnukad
1	श्री करतार चन्द	चालक	24.11.98
2	श्री तिलक राज	चालक	01.08.2002
3	श्री मुनीष कुमार	बेलदार	05.08.2002

8 0;; %&

l{ke vf/kdkjh dh Lohd`fr ds fcuk lQkbZ dk;Z gsrq etnwjksa dks j[kus ls jkf'k ₹0-39 yk[k dk vfu;fer Hkqxrku cukk %&

वाऊचर संख्या5 6, दिनांक 01.03.08 एवं वाऊचार संख्याः 3, दिनांक 01.01.09 की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा क्रमषः मस्ट्रोल संख्याः 35 के द्वारा 6 दैनिक सफाई मजदूरों को 29 दिनों के लिए ₹100.00 प्रति दिन की दर से ₹17,400.00 व मस्ट्रोल संख्याः 76 के द्वारा 7 दैनिक सफाई मजदूरों को 31 दिनों के लिए 100.00 प्रति दिन की दर से ₹21,700.00 अर्थात कुल 17,400 + 21,700 = ₹39,100.00 का भुगतान किया। निदेषक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः ULB-H(A)-2/95, दिनांक 27.03.02 द्वारा जारी निर्देषों में इस प्रकार की नियुक्ति को

प्रतिबंधित किया गया था। अतः उक्त पत्र के निर्देषों की अवहेलना करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करते हुए राषि ₹39,100.00 के अनियमित भुगतान को नियमित किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

8-1 <u>iVokjh gYdk dkxMk dk ekuns; dks :i esa jkf'k ₹0-12 yk[k dk vfu;fer Hkqxrku</u> %&

वेतन बिलों की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि पटवारी हल्का कांगड़ा को माह 04/07 से 03/11 तक ₹250.00 प्रति माह की दर से कुल ₹12,000.00 की राषि का भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में नगर परिषद द्वारा न ही कोई प्रस्ताव पारित किया गया व न ही निदेषक, शहरी विकास विभाग, षिमला से स्वीकृति प्राप्त की गई थी। नगर परिषद/निदेषक शहरी विकास विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना उक्त भुगतान को नगर परिषद निधि पर उचित प्रभार नहीं माना जा सकता। अतः पूर्व स्वीकृति के बिना भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹12,000 की वसूली उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से करके नगर परिषद निधि में जमा की जानी सुनिष्चित की जाए।

8-2 <u>ekckbZy pkftZax ds :i esa ₹5]600-00 dk vfu;fer Hkqxrku ckjs ¼okÅpj la[;k 46] fnukad 16-07-09½</u> %&

दूरभाष रजिस्टर पृष्ठ संख्याः 114 एवं 115 की जाँच में पाया गया कि श्री देष राज कार्यकारी अधिकारी को माह 09/08 से 01/2009 एवं श्री संजय कुमार कार्यकारी अधिकारी को माह 02/09 से 05/10 तक क्रमषः ₹2,400.00 एवं ₹3,200.00 का भुगतान किया गया था, परन्तु नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों/अधिकारियों को इस तरह की सुविध देने सम्बन्धि प्रस्ताव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। निदेषक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः UD-H(C)(7)-19/97-II-10199-10246, दिनांक 15.09.07 के अनुसार नगर परिषद के प्रस्ताव के बिना उक्त सुविधा कार्यकारी अधिकारियों को नहीं दी जा सकती थी। अतः नगर परिषद की स्वीकृति के बिना ₹5,600 (2400 + 3200 = 5600) के भुगतान को नगर परिषद की निधि पर उचित प्रभार नहीं ठहराया जा सकता। अतः इस व्यय का नियमितीकरण परिषद की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके किया जाए अन्यथा भुगतान को निजी व्यय मानते हुए, क्रमषः ₹2,400.00 एवं ₹3,200.00 की राषि की वसूली सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारियों से की जानी सुनिष्चित की जाए।

8-3 <u>fcuk **G.R** ds ₹735-00 dk Hkqxrku ckjs</u> %&

वाऊचर संख्याः 63, दिनांक 25.07.09 की जाँच में पाया गया कि संजय कुमार, कार्यकारी अधिकारी को नगर परिषद परवाणू से नगर परिषद कांगड़ा को स्थानांतरण होने पर परवाणू से कांगड़ा तक घर का सामान (House holds goods) लाने के लिए ₹735.00 का भुगतान किया गया, सामान लाने सम्बन्धि (G.R) अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण बिना G.R. के किए गए भुगतान की सत्यापना की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः भुगतान की सत्यापना की पुष्टि हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान G.R प्रस्तुत की जानी सुनिष्चित की जाए अन्यथा ₹735.00 की वसूली सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी से की जानी सुनिष्चित की जाए।

8-4 ykbIlSal Qhl jkf'k ₹228-00 dh oru fcyksa ls dVkSrh u djuk %&

वाऊचर संख्याः 64(ii) दिनांक 27.07.09 के अनुसार श्री संजय कुमार, कार्यकारी अधिकारी (कांगड़ा) के वेतन माह 07/09 में से ₹228.00 की राषि लाईसैंस फीस के रूप में काट कर, कार्यकारी अधिकारी बिलासपुर के नाम बकाया राषि के भुगतान स्वरूप भेजी गई थी। सम्बन्धित अधिकारी के माह 07/09 के वेतन बिल की जाँच में पाया गया कि वेतन बिल में से केवल ₹114 की कटौती लाईसैंस फीस के रूप में की गई थी जो कि नगर परिषद कांगड़ा द्वारा आबंटित मकान के एवज़ में थी अर्थात उक्त अधिकारी के वेतन में से ₹228.00 की अतिरिक्त कटौती किए बिना ही कार्यकारी अधिकारी बिलासपुर को राषि भेजी गई। अतः स्पष्ट है कि श्री संजय कुमार कार्यकारी अधिकारी कांगड़ा से बकाया लाईसैंस फीस का भुगतान नगर परिषद निधि से किया गया जिसकी वसूली अविलम्ब की जानी सुनिष्चित की जाए।

8-5 Mhty gsrq ₹338-00 ds Hkqxrku ckjs %&

वाऊचर संख्या5 64(vi) दिनांक 27.07.09 की जाँच में पाया गया कि श्री करतार चन्द चालक को ₹338.00 का भुगतान मैं0 मिलखी राम एण्ड सन्ज हमीरपुर के कैष मैमों नम्बर 106637, दिनांक 18.07.09 के लिए वाहन नम्बर HP-40B-0103 में डीजल डलवाने हेतु किया गया था। परन्तु वाहन की लॉग बुक में उक्त दिनांक को डीजल डलवाने सम्बन्धी प्रविष्टि अंकित नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है कि वास्तव में वाहन में डीजल नहीं डलवाया गया था। अतः वाहन में डीजल डलवाए बिना ₹338.00 का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राषि की वसूली सम्बन्धित चालक से की जानी सुनिष्चित की जाए।

8-6 fu/kkZfjr frfFk ds mijkUr lekpkj i=ksa esa foKkiu ds izdk'ku ₹5]677-00 dk vfu;fer vuqi;ksxh Hkqxrku %&

वाऊचर संख्याः 12, दिनांक 05.08.10 व वाऊचर संख्याः 28, दिनांक 26.08.10 की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा राषि ₹5,677.00 का भुगतान क्रमषः मै0 दैनिक जागरण एवं मैं0 हिमाचल केसरी को टैण्डर नोटिस के विज्ञापन प्रकाषन हेतु किया गया, परन्तु उक्त समाचार पत्रों द्वारा विज्ञापन का प्रकाषन निर्धारित तिथि के बाद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

uxj ifj"kn dh i= l0	lekpkj i= dk uke	foKkiu ds izdk'ku dh frfFk	ftl frfFk dk foKkiu izdkf'kr gqvk	V.Mj [kqyus dh frfFk	Hkqxrku dh jkf'k
न0प0का0–85–86, दिनांक 29.01.09	दैनिक जागरण	10.02.09 या उससे पहले	13.02.09	10.02.09	2,957.00
न0प0का0 / 2010–1642, दिनांक 08.07.10	हिमाचल केसरी	14.07.10 या उससे पहले	15.07.10	14.07.10	2,720.00
				;kx	₹5]677-00

अतः निर्धारित तिथि / टैंडर खुलने के बाद समाचार पत्रों में प्रकाषित विज्ञापनों के लिए भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राषि ₹5,677.00 की वसूली उचित स्त्रोत`स करके नगर परिषद निधि में जमा की जानी सुनिष्चित की जाए।

8-7 V.Mj Qkel dh fcØh ij ₹200-00 dh jkf'k de izkIr djuk %&

वाऊचर संख्याः 9, दिनांक 05.08.10 की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा Solid Waste Management Project को चलाने हेतु टैण्डर आमन्त्रित किए गए थे। टैण्डर फार्म का मूल्य ₹400.00 प्रति फार्म निर्धारित किया गया था। टैण्डर रजिस्टर / अन्य अभिलेखों की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि उपरोक्त कार्य हेतु बेचे गए टैण्डर फार्म हेतु श्री मंगलदास ठेकेदार द्वारा जी–8 संख्याः 11 / 1000, दिनांक 29.03.10 द्वारा केवल ₹200.00 ही नगर परिषद निधि में जमा करवाये गए थे, अर्थात उक्त ठेकेदार द्वारा ₹200.00 (₹400 – ₹200 = ₹200.00) कम जमा करवाये गए, जिसकी वसूली अविलम्ब करके नगर परिषद निधि में जमा किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

8-8 fo|qr cksMZ dksxMk dks jkf'k ₹0-19 yk[k dk vf/kd Hkqxrku %&

वाऊचर संख्याः 29, दिनांक 26.08.10 की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद के प्रधान के कार्यालय के मीटर नम्बर K-151-12100 के माह जुलाई / अगस्त, 2010 के लिए विद्युत बोर्ड

कांगड़ा को कुल ₹26,257.00 का भुगतान किया गया। इस राषि में से ₹19,626.00 का भुगतान बकाया राषि के रूप में किया गया था, जबकि नगर परिषद के बिजली रजिस्टर के अनुसार सभी बिजली बिलों का भुगतान समय पर किया जाता रहा है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि विद्युत बोर्ड से इस राषि के भुगतान का मामला उठाया जाए तथा ₹19,626.00 को विद्युत बोर्ड से वापिस प्राप्त करने के भरसक प्रयत्न किए जाएं।

9 fuek.k dk;

foHkkxh; etnjk dk fcuk dk; djok, jkf'k ₹19-64 yk[k dk vufpr Hkxrku %&

सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि दिनांक 04.11.08 से 01.01.10 तक विभागीय तौर पर निर्माण कार्य करवाने हेतु सीमेन्ट जारी नहीं किया गया था। वस्तुतः उपरोक्त अवधि के दौरान समस्त निर्माण कार्य विभिन्न ठेकेदारों से निष्पादित करवाये गए जिस हेतु सीमेन्ट की आपूर्ति ठेकेदारों द्वारा स्वयं अपने स्तर पर की गई थी। सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 2 के अनुसार दिनांक 02.01.10 को नगर परिषद द्वारा सीमेन्ट खरीदा गया एवं तदानुसार विभागीय तौर पर निर्माण कार्य सम्पन्न करवाये गए। विभागीय तौर पर सम्पन्न कारवाये गए निर्माण कार्यों के बारे में ऑडिट अधियाचना संख्या RVS(Audit)2011/77, दिनांक 14.09.11 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से सूचना मांगी गई थी परन्तु अंकेक्षण पूर्ण होने तक इस सम्बन्ध में न तो कोई जानकारी उपलब्ध करवाई गई तथा न ही विभागीय तौर पर मजदूरों से सम्पन्न करवाये गए अन्य कार्यों (यदि हों) सम्बन्धि अभिलेख प्रस्तुत किया गया जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त अवधि के दौरान नगर परिषद द्वारा अपने मजदूरों से कोई भी कार्य नहीं करवाया गया यद्यपि नगर परिषद के पास 14 बेलदार कार्यरत हैं। इन समस्त बेलदारों को माह 12/08 से 12/09 तक कुल राषि ₹19,63,965.00 का भुगतान वेतन के रूप में किया गया जिसका विवरण परिषिष्ट ''O'' पर दिया गया है। अतः विभागीय मजदूरों से कोई भी कार्य न करवा कर समस्त कार्य ठेकेदारों से करवा कर तत्कालीन अभियन्ता/कार्यकारी अधिकारी द्वारा नगर परिषद के वित्तीय हितों की अनदेखी करते हुए, ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया जिसकी सम्पूर्ण छानबीन की जानी सुनिष्चित की जाए अन्यथा बिना काम के दिए गए वेतन की भरपाई हेतु समुचित पग उठाये जाऐं।

9-1 LVkd l lheUV dk tkjh dju ckj %&

सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि दिनांक 01.04.07 से 04.11.08 तक 610 सीमेन्ट बैग विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु स्टॉक रजिस्टर से जारी किए गए। परन्तु सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर में न तो प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर थे व न ही सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर में माप

पुस्तिका (M.B) के पृष्ठ अंकित किए गए थे जिसके अभाव में जारी किए गए सीमेन्ट की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर में सीमेन्ट को प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर एवं एम0बी0 पृष्ठ अंकित किए जाएं ताकि जारी किए गए सीमेन्ट की सत्यता की पुष्टि की जा सके। अन्यथा जारी किए गए 610 बैग सीमेन्ट की वसूली दोगुनी दरों पर की जानी सुनिष्चित की जाए।

9-2 lheUV@LVhy dh vkifr foHkkxh; rkj ij u djuk ¼&

जाँच में यह पाया गया कि जो निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा स्वयं अपने स्तर पर की गई थी। ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग किए गए सीमेन्ट/ स्टील की गुणवता को प्रभावित करने सम्बन्धी अभिलेख भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए। यद्यपि निदेषक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष द्वारा पत्र संख्याः UD-H(F)(10)-2/2005-9750-9800, दिनांक 05.09.05 द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देष दिए गए हैं कि सीमेन्ट एवं स्टील की आपूर्ति सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से खरीद कर ठेकेदारों को विभागीय तौर पर की जानी सुनिष्चित की जाए। अतः नगर परिषद प्रषासन को यह परामर्ष दिया जाता है कि ठेकेदारों से निष्पादित करवाये गए विभिन्न निर्माण कार्यों की गुणवता की जाँच अपने स्तर पर करवाई जाए एवं भविष्य में सीमेन्ट/स्टील की आपूर्ति उपरोक्त दिए गए दिषा–निर्देषों अनुसार की जानी सुनिष्चित की जाए।

9-3 lfonkdkj d fcyk l ty iHkkj dh dVkrh u dju d dkj.k jkf'k ₹0-77 yk[k dh gkfu ckj

चयनित महीनों के निर्माण कार्यों के बिलों की जाँच में यह पाया गया कि कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा बिलों में से जल प्रभार की कटौती नहीं की गई थी। माप पुस्तिका या अन्य अभिलेख में संविदाकार द्वारा जल को क्रय कर के निर्माण कार्यों में प्रयोग करने सम्बन्धी कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न ठेकेदारों द्वारा जल के लिए किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया गया एवं जल का प्रयोग सरकारी स्त्रोतों/नल से निःषुल्क किया गया था। निःषुल्क जल प्रयोग करने पर कार्य की कुल लागत (Gross Bill) पर 1.5% की दर से जल प्रभार की कटौती की जानी अपेक्षित थी। नियमानुसार जल प्रभार की कटौती न करने के कारण नगर परिषद निधि को कुल राषि ₹76,710.00 की वित्तीय हानि उठानी पड़ी जिसका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''P'' पर दिया गया है। अतः नियमानुसार जल प्रभार की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राषि ₹76,710.00 की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाए।

9-4 njksa dh tLVhfQds'ku rS;kj fd, fcuk dk;ksZa dk vkcaVu %&

चयनित महीनों के निर्माण बिलों की जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्यों के प्राक्कलन हिमाचल प्रदेष लोक निर्माण विभाग की मानक सूची दरों (1999) के अनुसार तैयार किए गए थे, परन्तु विभिन्न ठेकेदारों को कार्यो का आबंटन प्राक्कलन में वर्णित दरों से कहीं अधिक ऊंची दरों पर किया गया था। अधिक ऊंची दरों को उचित ठहराने हेतु दरों की जस्टीफिकेषन तैयार नहीं की गई थी। अधिक ऊंची दरों पर आबंटित कार्यों का पूर्ण विवरण परिषिष्ट ''Q'' पर दिया गया हैं दरों की जस्टीफिकेषन तैयार किए बिना ही कार्यों का आबंटन ऊची दरों पर करने से स्पष्ट है कि तत्कालीन J.E/M.E ,एवं E.O द्वारा नगर परिषद के वित्तीय हितों की अनदेखी करते हुए विभिन्न ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। अतः इस पूरे प्रकरण की छान–बीन विभागीयतौर पर करवाई जाए तथा यदि जस्टीफिकेषन दरें आबंटित दरों से कम पाई जाती हैं तो किए गए कार्य की मांग के अनुसार विभिन्न ठेकेदारों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाए।

9-5 fcuk rduhdh Lohd`fr ds jkf'k ₹16-39 yk[k ds fuekZ.k dk;ksZa dk vkcafVr djuk %&

चयनित महीनों में निर्माण कार्यों के बिलों की जाँच में यह पाया गया कि राषि ₹16,39,348 के कुछ एक निर्माण कार्य बिना सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए विभिन्न ठेकेदारों को आबंटित किए गए थे, जिनका पूर्ण विवरण परिषिष्ट ''R'' पर दिया गया है। नियमानुसार परिषिष्ट में वर्णित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति अधिषाषी अभियन्ता, निदेषालय शहरी विकास विभाग षिमला से प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। तकनीकी स्वीकृति न होते हुए भी उक्त कार्यों का निष्पादन तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा करवाया गया। अतः उक्त कार्यों के निष्पादन से पहले सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

9-6 rduhdh Lohd`fr dh jkf'k ls ₹8-79 yk[k ls vf/kd ds fy, dk;Z dk vkcaVu %&

वाऊचर संख्याः	56, दिनांक 29.03.2008
कार्य का नाम	C/o Rehan Basera Building
ठेकेदार का नाम	श्री वतन कुमार
अवार्ड पत्र संख्या	230, दिनांक 25.02.08
एम0बी0 नम्बर	10, पृष्ठ 38

उपरोक्त वर्णित कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि इस कार्य का प्राक्कलन ₹8,52,674.00 का था तथा कार्य हेतु हिमाचल प्रदेष लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा के अधिषाषी अभियन्ता द्वारा प्राक्कलन अनुसार ₹8,52,674.00 की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की थी। परन्तु नगर परिषद के तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता/एम0ई0 द्वारा उक्त कार्य को ₹17,31,865.00 में आबंटित किया गया अर्थात कार्य का आबंटन तकनीकी रूप से स्वीकृत राषि से ₹8,79,191.00 (17,31,865 – 8,52,674 = 8,79,191) अधिक राषि पर करके, नगर परिषद के वित्तीय हितों की अनदेखी करते हुए सम्बन्धित ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया जिसकी विभागीय तौर पर छानबीन करते हुए तकनीकी स्वीकृति से अधिक राषि पर कार्य आबंटन का औचित्य स्पष्ट किया जाए। तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता से परिहार किया जाए।

9-7 <u>xyr x.kuk d: dkj.k fofHkUu Bsdnkjksa dks jkf'k ₹50]340-00 dk vf/kd Hkqxrku djuk</u> ¼&

वाऊचर संख्याः	22, दिनांक 14.01.09
कार्य का नाम	C/o link road ghat to old Kangra (S.H. C/o R/wall near Kapoor House)
ठेकेदार का नाम	श्री वतन कुमार
अवार्ड पत्र संख्या	1649/19.12.08
एम0बी0 नम्बर	11, पृष्ठ संख्याः 30

उपरोक्त कार्य की मद संख्याः 2 (Providing Form work with steel) के अनुसार R/wall के back side के कुछ भाग हेतु Form work नहीं किया गया था जबकि मद संख्याः 4 (Stone filling behind R/wall) के अनुसार R/wall के back side में उसी भाग में Stone filling दर्षाई गई थी, जिस कारण मद संख्याः 4 की मात्रा अंकेक्षण गणना अनुसार 31.50 cum आंकी गई जबकि एम0बी0 अनुसार भुगतान 39.66 cum हेतु किया गया था। परिणामस्वरूप 39.66 – 31.50 = 8.16 cum अधिक मात्रा हेतु ₹580.00 cum की दर से कुल राषि ₹4,733.00 का अधिक भुगतान सम्बन्धित ठेकेदार को किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा की जानी सुनिष्चित की जाए।

9-7-1 वाऊचर संख्याः 24, दिनांक 14.01.09

कार्य का नाम	Co Link Road ghat to old Kangra (S.H. C/o R/wall opposite to House of Sh. Anirudh)
ठेकेदार का नाम	श्री रणजीत शर्मा
एम0बी0 नम्बर	11, पृष्ठ 25
अवार्ड पत्र संख्या	1651, दिनांक 19.12.08

उपरोक्त कार्य की मद संख्याः 2 (Providing Form work with stal) के अनुसार R/wall के back side के कुछ भाग हेतु Form work नहीं किया गया था जबकि मद संख्याः 4 (Stone filling behind R/wall) के अनुसार R/wall की back side में उसी भाग हेतु Stone filling दर्षाई गई थी, जिस कारण मद संख्याः 4 की मात्रा अंकेक्षण गणना अनुसार 43.80 cum आंकी गई जबकि माप पुस्तिका अनुसार भुगतान 50.85 cum हेतु किया गया था। परिणामस्वरूप 50.85–43.80 = 7.05 cum अधिक मात्रा हेतु ₹580 cum की दर से कुल राषि ₹4,089.00 का अधिक भुगतान सम्बन्धित ठेकेदार को किया गया जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा की जानी सुनिष्चित की जाए।

9-7-2

वाऊचर संख्याः	25, दिनांक 14.01.09
कार्य का नाम	C/o Link Road Ghat to old Kangra (S.H. C/o R.C.C. Culvert)
ठेकेदार का नाम	श्री रणजीत शर्मा
अवार्ड पत्र संख्या	1418, दिनांक 15.10.2008
एम0बी0 नम्बर	11, पृष्ठ 22

उपरोक्त कार्य की मद संख्याः 1 (Excavation in foundation trenches etc) की मात्रा माप पुस्तिका अनुसार 15.88 cum दर्षाई गई थी जिस हेतु सम्बन्धित ठेकेदार को ₹145.00 cum की दर से कुल राषि ₹2,303.00 (15.88 x 145 = 2303) का भुगतान किया गया था जबकि उक्त मद का भुगतान वाऊचर संख्याः 26, दिनांक 14.01.09 द्वारा भी सम्बन्धित Culvert के लिए Pusta के निर्माण करते समय किया गया था अर्थात ₹2,303.00 का भुगतान दो बार किया गया था। अतः अधिक भुगतान की गई राषि ₹2,303.00 की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा की जानी सुनिष्चित की जाए।

9-7-3

वाऊचर संख्याः	26, दिनांक 14.01.09

कार्य का नाम	C/o Link Road Ghat to Old Kangra (S.H. C/o Pusta for R.C.C. Culvert)
ठेकेदार का नाम	श्री रणजीत शर्मा
अवार्ड पत्र संख्याः	1411, दिनांक 15.10.08
एम0बी0 नम्बर	11, पृष्ठ 19

उपरोक्त कार्य की मद संख्याः 2 (Providing form work with steel) की मात्रा माप पुस्तिका अनुसार 29.93 मी^{2} दर्षाई गई थी। सम्बन्धित ठेकेदार को 160/– मी^{2} की दर से कुल ₹4,789.00 का भुगतान किया गया था जबकि उक्त मद की मात्रा अंकेक्षण गणना अनुसार 9.80 मी^{2} आंकी गई जिस हेतु केवल ₹1,568.00 की राषि का भुगतान किया जाना आपेक्षित था। अतः गलत गणना के कारण ₹3,221.00 (4789 - 1568) का अधिक भुगतान सम्बन्धित ठेकेदार को किया गया, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा की जानी सुनिष्चित की जाए।

9-7-4

वाऊचर संख्याः	27, दिनांक 14.01.09
कार्य का नाम	C/o R.C.C. culvert on mission Road (S.H. C/o Pusta)
ठेकेदार का नाम	श्री रणजीत शर्मा
अवार्ड पत्र संख्याः	1416, दिनांक 15.10.08
एम0बी0 नम्बर	11, पृष्ठ 35

उपरोक्त कार्य की मद संख्याः 2 (Providing form work with steel) की मात्रा माप पुस्तिका अनुसार 35.42 मी^{2} दर्षाई गई थी सम्बन्धित ठेकेदार को 160/– मी^{2} की दर से कुल ₹5,667.00 का भुगतान किया गया था जबकि उक्त मद की मात्रा अंकेक्षण गणना अनुसार 18.40 मी^{2} आंकी गई जिस के लिए ₹2,944.00 (18.40 x 160 = 2944) की राषि का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः गलत गणना के कारण ₹2,723.00 (5667 – 2944 = 2723) का अधिक भुगतान सम्बन्धित ठेकेदार को किया गया, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा की जानी सुनिष्चित की जाए।

9-7-5

वाऊचर संख्याः	29, दिनांक 14.01.09
कार्य का नाम	C/o Link Road Ghat to Old Kangra (S.H. C/o R/wall/Pusta-Phase_I)

ठेकेदार का नाम	श्री वी0पी0 शर्मा
अवार्ड पत्र संख्या	1415, दिनांक 15.10.08
एम0बी0 नम्बर	11, पृष्ठ 15

उपरोक्त कार्य की मद संख्याः 2 (Providing work with steel) के अनुसार R/wall के back Side के कुल भाग हेतु form work नहीं किया गया जबकि मद संख्याः 4(Stome filling behing R/wall) के अनुसार R/wall की back Side के कुल भाग हेतु Stome filling दर्षाई गई थी, जिस कारण मद संख्याः 4 की मात्रा अंकेक्षण गणना अनुसार शून्य आंकी गई जबकि माप पुस्तिका अनुसार भुगतान 15.17 cum हेतु किया गया था। परिणाम स्वरूप 15.17 cum (15.17 – शून्य = 15.17) अधिक मात्रा हेतु ₹500.00 cum की दर से कुल राषि ₹7585 (15.17 x 500 = 7585) का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके, नगर परिषद निधि में की जानी सुनिष्चित की जाए।

9-7-6

वाऊचर संख्याः	31, दिनांक 14.01.09
कार्य का नाम	Channelization of Nalla Near Mission Road Ward no. 5
ठेकेदार का नाम	श्री अमित गौतम
अवार्ड पत्र संख्याः	1215, दिनांक 11.09.08
एम0बी0 नम्बर	11, पृष्ठ 3

उपरोक्त कार्य की मद संख्याः 3, 4 एवं 5 की मात्रा अंकेक्षण गणना अनुसार कम पाई गई जबकि भुगतान अधिक मात्रा के लिए किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

en l0	en	vid{k.k x.kuk vuqlkj ek=k	,e0ch0 vuqlkj x.kuk	vUrj	nj	jkf'k
3	R/R Masanry	25.88 cum	31.73 cum	5.85 cum	1600/-cum	9360.00
4	Stone soling	4.14 cum	5.82 cum	1.68 cum	600/-cum	1008.00
5	P/L C.C. 1:2:4	1.72 cum	3.87 cum	2.15 cum	3000/-cum	6450.00
					Total	**₹16818.00**

अतः अधिक मात्रा हेतु कुल राषि ₹16,818.00 का भुगतान सम्बन्धित ठेकेदार को किया गया जिसकी वसूली चूककर्त्ताओं से अविलम्ब करके नगर परिषद निधि में जमा की जानी सुनिष्चित की जाए।

9-7-8 वाऊचर संख्याः 34, दिनांक 26.08.10

कार्य का नाम C/o R.C.C. Slab for community hall-II

ठेकेदार का नाम श्री वतन कुमार

अवार्ड पत्र संख्या 574, दिनांक 18.06.09

एम0बी0 नम्बर 12, पृष्ठ 10 जव 12

उपरोक्त कार्य की मद संख्याः 3 (Providing tor steel) की मात्रा अंकेक्षण गणना अनुसार 10.88.87 कि0ग्रा0 आंकी गई जबकि मद पुस्तिका के अनुसार सम्बन्धित ठेकेदार को 1256 कि0ग्रा0 का भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप 1256 – 1088.87 = 167.32 कि0ग्रा0 मात्रा हेतु ₹53 प्रति कि0ग्रा0 की दर से राषि ₹8868.00 का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि मे जमा की जानी सुनिष्चित की जाए।

9-8 jkf’k ₹4-82 yk[k dk vfrfjDr dk;Z grq l’kkf/kr ikôyu r;kj u djuk %&

वाऊचर संख्याः 23, दिनांक 14.01.2009

कार्य का नाम C/o Link Road Ghat to Old Kangra (S.H. C/o R/wall towards N.H. 88)

ठेकेदार का नाम श्री वतन कुमार

अवार्ड पत्र संख्या 1648, दिनांक 19.12.08

एम0बी0 नम्बर 11, पृष्ठ 32

नगर परिषद के प्रस्ताव संख्याः 477, दिनांक 20.09.08 की अनुपालना में उपरोक्त कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया। तदानुसार ही कार्य अवार्ड किया गयां प्राक्कलन में पैराफिटस हेतु कोई प्रावधान नहीं था परन्तु माप पुस्तिका एवं बिल की जाँच में पाया गया कि 40 नम्बर पैराफिटस का निर्माण कार्य भी निष्पादित करवाया गया था। इस अतिरिक्त कार्य हेतु न ही नगर परिषद द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया गया तथा न ही संषोधित प्राक्कलन तैयार किया गया, जिससे स्पष्ट है कि तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा बिना नगर परिषद की अनुमति के, अतिरिक्त कार्य सम्पन्न करवा कर ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया जिस हेतु सम्बन्धित ठेकेदार को ₹59,774.00 की अतिरिक्त राषि का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

Form work = 86.34 M^2 @ 160/-M^2 = 13,814.00

P/L C.C. 1:4:8 = 19.15 cum @ 2400/-cum = <u>45,960.00</u>

<u>59,774.00</u>

अतः बिना स्वीकृति के सम्पन्न करवाये गए अतिरिक्त कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जानी सुनिष्चित की जाए अन्यथा राषि ₹59,774.00 की वसूली चूककर्त्ता से की जानी सुनिष्चित की जाए।

9-9 वाऊचर संख्याः 25, 26, दिनांक 14.01.09

कार्य का नाम O/o link road ghat to old Kangra (S.H. do Rcc Culvert)

ठेकेदार का नाम श्री रणजीत शर्मा

अवार्ड पत्र संख्याः 1418, दिनांक 15.10.08

एम0बी0 नम्बर 11, पृष्ठ 22 एवं 19

नगर परिषद के प्रस्ताव संख्याः 477, दिनांक 20.09.08 की अनुपालना में उपरोक्त कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया एवं तदानुसार ही कार्य अवार्ड किया गया। प्राक्कलनक में पुस्ता (Pusta) के निर्माण हेतु कोई प्रावधान न था परन्तु माप पुस्तिका पृष्ठ 19 एवं वाऊचर संख्याः 26 की जाँच में पाया गया कि पुली के कार्य के साथ पुस्ता का निर्माण कार्य भी निष्पादित करवाया गया था इस अतिरिक्त कार्य हेतु न ही नगर परिषद द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया गया तथा न ही संषोधित प्राक्कलन तैयार किया गया, जिससे स्पष्ट है कि तत्कालिक कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा बिना नगर परिषद की अनुमति के अतिरिकत लाभ पहुंचाया गया जिस हेतु सम्बन्धित ठेकेदार को वाऊचर संख्या 26 के अनुसार ₹1,81,986.00 का भुगतान किया गया।

अतः बिना स्वीकृति के सम्पन्न करवाये गए अतिरिक्त कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जानी सुनिष्चित की जाए, अन्यथा राषि ₹1,81,986.00 की वसूली चूककत्ताओं से की जानी सुनिष्चित की जाए।

9-9-1 वाऊचर संख्यः 28,27, दिनांक 14.01.09

कार्य का नाम C/o RCC Culvert on Mission Road

ठेकेदार का नाम श्री रणजीत शर्मा

अवार्ड पत्र संख्या 1417, दिनांक 15.10.08

एम0बी0 नम्बर 11, पृष्ठ 36 एवं 35

नगर परिषद के प्रस्ताव संख्याः 206 दिनांक 27.06.07 की अनुपालना में उपरोक्त कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया एवं तदानुसार ही कार्य आवार्ड किया गया। प्राक्कलन में पुस्ता (Pusta) के निर्माण हेतु कोई प्रावधान न था, परन्तु माप पुस्तिका पृष्ठ 35 एवं वाऊचर संख्याः 27 की जाँच में पाया गया कि पुली के कार्य के साथ पुस्ता का निर्माण कार्य भी निष्पादित करवाया गया था। इस अतिरिक्त कार्य हेतु न ही नगर परिषद द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया गया तथा न ही संषोधित प्राक्कलन तैयार किया गया, जिससे स्पष्ट है कि तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा नगर परिषद की बिना अनुमति के अतिरिक्त कार्य सम्पन्न करवा कर सम्बन्धित ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया जिस हेतु सम्बन्धित ठेकेदार को वाऊचर संख्याः 27 दिनांक 14.01.09 के अनुसार राषि ₹2,39,862.00 का भुगतान किया गया।

अतः नगर परिषद की स्वीकृति के बिना निष्पादित करवाये गए अतिरिक्त कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जानी सुनिष्चित की जाए अन्यथा राषि ₹2,39,862.00 की वसूली चूककर्त्ता से की जानी सुनिष्चित की जाए।

9-10 [kk[k d fuek.k e vfu;ferrk,¡ %&

वाऊचर संख्याः 10, 11 दिनंका 05.08.10 की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि नगर परिषद के प्रस्ताव संख्याः 511, दिनांक 27.11.08 की अनुपालना में खोखों का निर्माण करवाया गया जिनमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :–

खोखो के निर्माण हेतु Vat सहित @4% ₹3,26,117.00 की सामग्री की खरीद की गई जिस हेतु स्थानीय बाजार से कोटेषन आमन्त्रित की गई, जबकि नियमानुसार इस खरीद हेतु टैण्डर लगाये जाने चाहिए थे।

9-10-1 खोखों के निर्माण हेतु न ही कोई प्राक्कलन तैयार किया गया तथा न ही सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई।

9-10-2 मैं0 श्री बालाजी ट्रैडज़, कांगड़ा से बिल नम्बर 591, दिनांक 03.10.09 के द्वारा खरीद की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

lkexh dk uke	nj	ek=k	fVIi.kh
Angle	38/-Kg	4950 kg	CGI Sheet and Blacksheet के प्रति Sqf
CGI Sheet	55/-Kg	592.80 ke	

	(18.33/-Sqf)	(1770 Sqf)	Rate J.E. द्वारा उपलब्ध करवाये गए सर्टिफिकेटस के ऊपर आधारित है।
Black Sheet	52/-Kg	1740 kg	
	(30.25/-Sqf)	(2976 Sqf)	
J.Hooks	65 kg	20 kg	
Nut	75 kg	6 kg	
Hings	5 no.	64 no.	
Chhapka Kunda	10 no.	32 no.	

9-10-3 कोटेषन के आधार पर Black Sheet को फिक्स करने की दर ₹8/–Sqf थी परन्तु वाऊचर संख्याः 11, दिनांक 05.08.10 की जाँच में यह पाया गया कि श्री रविन्द्र सिंह, गांव कोट कुवाला, कांगड़ा को 2810 sqf Black Sheet को फिक्स करने हेतु ₹10/-sqf की दर से ₹28,100.00 का भुगतान किया गया, अर्थात ₹2/-Sqf की अधिक दर से ₹5,620.00 (2810 x 2) का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाए।

9-10-4 श्री रविन्द्र सिंह, गांव कोट कुवाला, कांगड़ा के बिल नम्बर NIL, Dated Nil के अनुसार 4820 कि0ग्रा0 Angle 1578 sqf CGI Sheet, and 2810 sqf Black Sheet का प्रयोग खोखों के निर्माण हेतु किया गया, परन्तु तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई।

9-10-5 शेष बची सामग्री राषि ₹13,482.00 की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी आपेक्षित है। शेष बची सामग्री का विवरण निम्न प्रकार से है :–

lkexh dk uke	[kjhn dh xbZ lkexh	mi;kx dh xbZ lkexh	'k"k lkexh	nj	jkf'k
Angle	4950 kg	4820 kg	130 kg	38 kg	4940.00
CGI Sheet	592.800 kg (1770 sqf)	1578 sqf	1925 sqf	18.33 sqf	3520.00
Black Sheet	1740 kg (2976 sqf)	2810 sqf	1665 sqf	30.25 sqf	5022.00
				Total	**₹13,482.00**

9-11 vfHkys[k miyC/k u djokus ckjs %&

अंकेक्षण के दौरान वाऊचर संख्याः 20, दिनांक 04.03.08, राषि ₹5,50,719.00 एवं वाऊचर संख्याः 21, दिनांक 04.03.08, राषि ₹3,75,273.00 से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इस सम्बन्ध में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः आर0वी0एस

(ऑडिट)2011/108, दिनांक 27.12.11 द्वारा अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण पूर्ण होने तक सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जिस कारण राषि ₹9,25,992.00 (5,50,719 + 3,75,273 = 9,25,992) के भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाने सुनिष्चित किए जाऐं ताकि किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

10 lkekU; Hkfo"; fuf/k ,o minku@iU'ku@v'knk;h iU'ku %&

उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.11 तक सामान्य भविष्य निधि अंषदान/पैन्षन/सी0पी0एफ0 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही :–

GPF/CPF dh foÙkh; fLFkfr %&

Financial Position Of G.P.F/CPF. Account for the Year 2007-2008 to 2010-11

Year	Opening Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2007-2008	7,50,814.00	7,34,603.00	14,85,417.00	8,29,084.00	6,56,333.00
2008-2009	6,56,333.00	12,40,891.00	18,97,224.00	9.84,918.00	9,12,306.00
2009-2010	9,12,306.00	8,61,962.00	17,74,268.00	5,22,584.00	12,51,684.00
2010-2011	12,51,684.00	12,23,004.00	24,74,688.00	7,65,981.00	17,08,707.00

Detail of Bank

Account No.	Name of Bank	Amount
20033099371	The K.C.C. Bank	42,285.00
20033064682	The K.C.C. Bank	16,66,422.00
	Total	**₹17,08,707.00**

iU'ku ,o minku dh foÙkh; fLFkfr %&

Financial Position Of Pension/Gratuity Fund for the Year 2007-2008 to 2010-11

Year	Opening Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2007-2008	11,30,599.00	6,16,582.00	17,47,181.00	6,59,516.00	10,87,665.00
2008-2009	10,87,665.00	10,25,819.00	21,13,484.00	10,99,439.00	10,14,045.00
2009-2010	10,14,045.00	8,67,623.00	18,81,668.00	10,45,706.00	8,35,962.00
2010-2011	8,35,965.00	16,90,920.00	25,26,882.00	10,47,487.00	14,79,395.00

Detail of Bank

Account No.	Name of Bank	Amount
20033084712	The K.C.C. Bank	1,69,599.00
20033037829	The K.C.C. Bank	2,77,595.00
20033088376	The K.C.C. Bank	70,366.00
20033056569	The K.C.C. Bank	9,61,835.00
	Total	**₹14,79,395.00**

10-1 v'knk;h iU'ku fuf/k dk lkekU; Hkfo"; fuf/k [kkrk la[;k 20033064682 ls vyx dju ckjs

जाँच में पाया गया कि दिनांक 15.05.2003 के उपरान्त नियमित हुए कर्मचारियों की अंषदायी पैन्षन निधि को दिनांक 15.05.03 से पहले के नियमित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाता संख्याः 20033064682 (The K.C.C. Bank) में इक्टट्ठा ही जमा किया जा रहा था माह जनवरी, 2011 से अंषदायी पैन्षन निधि के लिए (The K.C.C. Bank) कांगड़ा में अलग से खाता संख्याः 20033099671 खुलवा कर, अंषदायी पैन्षन निधि की राषि को उसमें ही जा किया जा रहा है। अतः यह परामष्र दिया जाता है कि दिनांक 15.05.2003 के उपरान्त नियमित हुए कर्मचारियों की माह दिसम्बर, 2010 तक की अंषदायी पैन्षन निधि की गणना करके, समस्त राषि को खाता संख्याः 20033064682 से निकाल कर खाता संख्याः 20033099671 में डालना सुनिष्चित किया जाए।

10-2 uxj ifj"kn }kjk Jhefr ljkst ckyk ¼pkSdhnkj½ ds v'knk;h iU'ku fuf/k esa ₹0-23 yk[k dh jkf'k dk v'knku u djus ckjs %&

अंशदायी पैन्षन निधि से सम्बन्धित ledger की जाँच में पाया गया कि श्रीमति सरोज बाला (चौकीदार) के खाता संख्याः 1 में माह 06/2005 से माह 05/2009 तक नगर परिषद द्वारा अंषदान जमा नहीं करवाया गया था जबकि हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः Fin(Pen)(A)(3)-1/96, dated 15-05-2003 के खण्ड 4(ii) के अनुसार नगर परिषद द्वारा 10% की कटौती के बराबरी का अंषदान किया जाना अपेक्षित था। नगर परिषद द्वारा जमा न करवाये गए अंषदान का विवरण निम्न प्रकार से है :–

vof/k	Lo;a dk v'knku ¼**10%** dh nj ls½	uxj ifj"kn dk v'knku ¼**10%** dh nj ls½	ftruk v'knku fd;k tkuk visf{kr gS

06/2005 से 03/2006	4350.00	शून्य	4350.00
04/2006 से 03/2007	5508.00	शून्य	5508.00
04/2007 से 03/2008	5740.00	शून्य	5740.00
04/2008 से 03/2009	6442.00	शून्य	6442.00
04/2009 से 05/2009	499.00	शून्य	499.00
		dqy ;ksx	₹22]539-00

अतः यह परामर्ष दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित राषि को सम्बन्धित कर्मचारी के खाते में जमा किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

10-3 egxkbZ HkÙkk@vUrfje jkgr dh cdk;k jkf'k dks va'knk;h isU'ku fuf/k esa tek djus ckjs %&

अंशदायी पैन्षन निधि की Ledger की जाँच में यह पाया गया कि विभिन्न कर्मचारियों को समय–समय पर मिले महंगाई भत्ते/अन्तरिम राहत की बकाया राषियों को अंषदायी पैन्षन निधि में जमा कर दिया गया था। नियमानुसार उक्त बकाया राषियाँ सामान्य भविष्य निधि में जमा की जानी थी, परन्तु अंषदायी पैन्षन निधि वाले कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि में अंषदान नहीं कर सकते, जिस कारण बकाया राषियों का नकद भुगतान किया जाना आपेक्षित था। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि जो कर्मचारी अंषदायी पैन्षन निधि में अंषदान कर रहे हैं अर्थात जो कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि खाता नहीं खुलवा सकते, उन कर्मचारियों के अंषदायी पैन्षन खाता में समय–समय पर जमा करवाई गई बकाया राषियों की गणना करके सम्बन्धित कर्मचारियों को वापिस किया जाए।

10-4 va'knk;h isU'ku fuf/k ls Jhefr ljkst ckyk ¼pkSdhnkj½ dks ₹15]000-00 dh jkf'k **Withdrawal** ds :i esa nsus ckjs %&

वाऊचर संख्याः 41, दिनांक 09.07.2009 की जाँच में पाया गया कि श्रीमति सरोज बाला को ₹15,000.00 की राषि अंषदायी पैन्षन निधि में से withdrawal के रूप मं दी गई। नियमानुसार अंषदायी पैन्षन निधि में से किसी भी प्रकार से अग्रिम/withdrawal पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अतः राषि ₹15,000.00 की वसूली, ब्याज सहित, सम्बन्धित कर्मचारी से करके, उसके अंषदायी पैन्षन निधि में जमा की जानी सुनिष्चित की जाए।

10-5 ctV esa vuqekfur vk; dk **1%** cjkcj 'ks;j isU'ku@minku dks"k esa gLrkarfjr u djuk %&

चयपित महीनों के व्यय बिलों की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों के पैन्षन/उपदान निधि में 12% एवं 5% की दर से नियमानुसार अंषदान किया जा रहा है, परन्तु हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः LSG-B(1)-1/79-III, dated 25-04-2000 के क्रम संख्याः 16 के अनुसार बजट में अनुमानित आय का 1% के बराबर का मांग उक्त कोष में हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए, अन्यथा नियमानुसार उक्त शेयर की राषि की गणना करके, कोष में हस्तांतरित की जाए।

10-6 fnukd 01-01-06 d ckn lok fuor depkfj;k dh iU'ku e l'kk/ku dju ckj %&

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि दिनांक 01.01.06 से 31.01.10 के दौरान सेवा निवृत कर्मचारियों की पैन्षन का पुनः निर्धारण 01.01.06 से पहले की कर्मचारियेां की तरह, Pension Fitment Table के अनुसार किया गया था एवं तदानुसार ही पैन्षन भोगियों को पैन्षन का भुगतान किया जा रहा है। जबकि निदेषक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(B)(10)-1/86-IV-18807-56, Dated 22-01-10 के अनुसार दिनांक 01.01.06 के बाद सेवा निवृत कर्मचारियों की पैन्षन संषोधित वेतन मान 2009 के अनुसार संषोधित की जानी अपेक्षित थी। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि दिनांक 01.01.06 से 31.01.10 के दौरान सेवा निवृत कर्मचारियों की पैन्षन तैयार करके निदेषालय को समीक्षा हेतु प्रेषित की जाए एवं निदेषक से स्वीकृति मिलने के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारियों को पैन्षन/उपदान/Leave Encashment/Commutation Value of Pension की बकाया राषियों (यदि बनती हैं) का भुगतान किया जाए। जिन सेवा निवृत कर्मचारियेां की पैन्षन संषोधित की जानी अपेक्षित है उनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

Øe l[;k	depkjh dk uke	inuke	lok fuofr dh fnukd
1	श्रीमति निर्मला देवी	सेवादार	30.06.07
2	श्री राम प्रकाष	सफाई कर्मचारी	31.07.07
3	श्रीमति कमला देवी	सफाई कर्मचारी	30.04.08
4	श्रीमति कृष्णा देवी	सफाई कर्मचारी	30.04.08
5	श्रीमति कमला देवी–।।	सफाई कर्मचारी	30.04.08
6	श्री लाल सिंह	बेलदार	30.11.09

11 xkfM;k %&

xkfM;ksa dh vkSlr rsy [kir dk fu/kkZj.k u djokus ds dkj.k jkf'k ₹0-31 yk[k dh foÙkh; gkfu ckjs %&

गाड़ियों की लॉग बुक की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा गाड़ियों की औसत तेल खपत का निर्धारण सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं करवाया गया था। गाड़ियों की माह वार औसत तेल खपत में भारी अन्तर पाया गया जिसका पूर्ण विवरण परिषिष्ट ''S'' पर दिया गया है। परिषिष्ट के अवलोकन पर यह पाया गया कि गाड़ी नम्बर HP-68-0165 की माह 04/07 से 03/09 तक औसत तेल खपत लगभग 10 कि0मी0/लीटर बनती है तथा तदोपरान्त माह 04/09 से 03/11 तक लगभग 06 कि0मी0/लीटर बनती है। इसी तरह गाड़ी नम्बर HP-40B-0103 की माह 05/08 से 01/09 तक औसत तेल खपत लगभग 10 कि0मी0/लीटर बनती है तथा तदोपरान्त माह 02/09 से 03/11 तक 9.80 कि0मी0 प्रति लीटर दर्षाई गई है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर0वी0एस0(ऑडिट)2012/07, दिनांक 24.01.12 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अतः उपरोक्त दोनों गाड़ियों की औसत तेल खपत का आधार यदि 10 कि0मी0/लीटर माना जाए तो अधिक प्रयोग किए गए तेल (डीजल) की मांग 756.50 लीटर बनती है जिसकी कुल कीमत प्रचलित वर्तमान दरों अनुसार राषि ₹30,638.00 बनती है जिसका अलग–अलग विवरण परिषिष्ट पर वर्णित है। अतः लगभग 10 कि0मी0/लीटर औसत तेल खपत से कम तेल औसत खपत का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राषि ₹30,638.00 की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाए।

इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में गाडियों की औसत तेल खपत का निर्धारण किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए तथा यदि गाडियों की औसत तेल खपत निर्धारित औसत तेल खपत से कम पाई जाए तो तदानुसार अधिक प्रयोग किए गए तेल की कीमत की वसूली वर्तमान दरों के अनुसार की जानी सुनिष्चित की जाए।

11-1 xkM+h uEcj **HP-40-8015** dh mi;ksfxrk ckjs %&

गाड़ी नम्बर HP-40-8015 की माह 05/08 से 03/11 तक की लॉग बुक की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि उक्त गाड़ी का उपयोग बहुत ही कम किया गया था। माह 04/07 से 04/08 तक की लॉग बुक अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तुत की गई लॉग बुक अनुसार माह 01/09 से 12/09 एवं 05/10 से 03/11 तक उक्त गाड़ी का प्रयोग बिलकुल भी नहीं किया गया जिसका विवरण परिषिष्ट ''S'' पर दिया गया है। नगर परिषद को उक्त गाड़ी की Insurance/Taken tax एवं गाडी के क्रय करने पर अदा की गई राषि के ऊपर ब्याज के रूप में

हानि उठानी पड़ रही है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि उक्त गाड़ी को नगर परिषद के हित में उपयोग में लाया जाना सुनिष्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त माह 04/07 से 04/08 तक की लॉग बुक आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जानी सुनिष्चित की जाए।

11-2 fcuk iwoZ Lohd`fr ds okgu dks jkT; ds ckgj ys tkus ckjs %&

हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्याः UD-H(C)(10)-9/02, Dated 15-09-07 के अनुसार नगर परिषद के वाहन को राज्य के बाहर, निदेषक, शहरी विकास विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं ले जाया जा सकता था। वाहन नम्बर HP-40-0103 की लॉग बुक की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि उक्त वाहन को सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना राज्य से बाहर ले जाया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

fnukad	;k=k LFkku	r; dh xbZ nwjh	;k=k djus okyk vf/kdkjh@deZpkjh	ykWx cqd i"B la[;k
19.02.10 से 21.02.10	कांगड़ा से चण्डीगढ़ एवं वापिस	551 कि0मी0	E.O/J.E.	43
23.01.11 से 25.01.11	कांगड़ा से चण्डीगढ़ एवं वापिस	523 कि0मी0	E.O.	65
	dqy nwjh	1074 fd0eh0		

अतः उपरोक्त तय की गई दूरी को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित किया जाए अन्यथा उक्त यात्राओं को निजि यात्रा मानते हुए राषि ₹6444.00 (1074 x 6 = 6444) की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिष्चित की जाए।

11-3 **J.B.T** dh ijh{kk gsrq okgu uEcj **HP-40-0103** dk iz;ksx djus ckjs %&

लॉग बुक पृष्ठ संख्याः 51 के अनुसार दिनांक 27.06.10 को J.B.T की परीक्षा के संचालन हेतु नगर परिषद के वाहन नम्बर HP-40-0103 का प्रयोग एस0डी0एम0 कार्यालय द्वारा किया गया था। जे0बी0टी0 परीक्षा के संचालन हेतु दिनांक 27.06.10 को कुल 161 कि0मी0 गाड़ी चलाई गई जिस हेतु एस0डी0एम0 कार्यालय द्वारा न ही उक्त वाहन में तेल डलवाया गया न ही नगर परिषद निधि में धन राषि जमा करवाई गई। यद्यपि जे0बी0टी0 परीक्षा के संचालन हेतु हिमाचल प्रदेष स्कूल

षिक्षा बोर्ड द्वारा समुचित धन राषि उपलब्ध करवाई जाती है। अतः अनियमित रूप से तय की गई दूरी के लिए राषि ₹161 x 6 = 966/- की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाए।

12 LVkd

iR;{k lR;kiu u djokus ckjs %&

अंकेक्षण अवधि के दौरान यह पाया गया कि भण्डार में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जबकि नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 244 के अनुसार समस्त परिसम्पतियों का सत्यापन करवाया जाना आपेक्षित है। अतः नियम 244 के अनुसार भण्डार में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिष्चित किया जाए तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12-1 LFkkbZ oLrqvksa dk vUr'ks"k 'kwU; n'kkZus ckjs %&

स्टॉक रजिस्टरों की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि कुछ एक स्थाई वस्तुओं के अन्तषेष को शून्य दर्षाया गया था जबकि नियमानुसार स्थाई वस्तु का अन्तषेष तभी शुन्य होना चाहिए जब वास्तव में स्थाई वस्तु अनुपयोगी घोषित करने उपरान्त नीलाम/नष्ट कर दी जाए। उदाहरण के तौर पर Sanitation Stock Register के पृष्ठ 78 पर विभिन्न जगहों पर Dustbins को Fix करने उपरान्त Dustbin का अन्तषेष शून्य दर्षाया गया था। अतः विभागीय तौर पर स्टॉक की मात्रा को सही करने उपरान्त भविष्य में स्टॉक रजिस्टरों का रख–रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

13 vfxze jkf'k ₹0-26 yk[k dk lek;kstu 'ks"k %&

अग्रिम रजिस्टरों की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि दिनांक 31.03.11 को ₹26,000.00 की राषि विभिन्न कर्मचारियों के नाम समायोजन हेतु शेष पड़ी थी, जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''T'' पर दिया गया है। परिषिष्ट में वर्णित अग्रिम राषियाँ 2004 से लम्बित पड़ी हैं। अतः नगर परिषद प्रषासन को यह परामर्ष दिया जाता है कि अग्रिम राषियों की वसूली हेतु अविलम्ब समुचित कार्यवाही अम्ल में लाई जाए।

14 y?kq vkifÙk foojf.kdk %& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

15 fu"d"kZ %& नगर परिषद के लेखों के रख–रखाव में और सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– V(5)-फिन(एल0ए0)–खण्ड–4 दिनांक, षिमला–171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेषक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेष षिमला–171002.

2. वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेष षिमला–171003.

i:thdr % 3- कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेष) को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

¼vui dekj ?kk:½